समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केंप सागर

1.तिलक पिता टीकाराम अहिरवार
2.टीकाराम पिता दशरथ अहिरवार
3.गनेश पिता दशरथ अहिरवार
तीनों निवासी ग्राम-तेन्दूखेडा तह0तेन्दूखेडा,
जिला-दमोह(म0प्र0) ....आवेदकगण

//बनाम//

1.लक्ष्मीकांत पिता हुकमचंद गोयल
निवासी ग्राम तेन्दूखेडा तह0 तेन्दूखेडा
2.संतोष पिता तुलसीराम सोनी
3.बसंत कुमार पिता वीरनलाल सोनी
सभी निवासी ग्राम तेन्दुखेडा जिला-दमोह
4.तत्कालीन पीठासीन अधिकारी महोदय,
पदेन अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेडा
जिला-दमोह(म0प्र0) ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र.क्र.457/अ-6/अ वर्ष2015-16 में पारित आदेश दिनाँक 11.10.2017 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैः-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र01लक्ष्मीकांत पिता हुकमचंद गोयल ने एक आवेदन वर्ष 2011 में संहिता की धारा 116 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम तेन्दूखेडा प0ह0नं012 स्थित भूमि ख0नं0605/2 रकवा 0.119हे0भूमि विधिवत् रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनाँक 16.09.1985 को कय की थी विकय-पत्रों में त्रुटिवश ख0नं0605/2 अंकित हो गया था जिस कारण से दिनाँक 30.05.1988 को अलग-अलग

दिलीप गोस्वामी
एडवोकेट
कार्या एवं निवास भूतेश्वर मंदिर सागर (म.प्र.)
मो. - 9827432531,07582-266133

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/630 **जिला** – दमोह

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.02.2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनका आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है, क्योंकि एक ओर उन्होंने अनावेदक लक्ष्मीकांत द्वारा प्रस्तुत व्यवहारवाद में लक्ष्मीकांत के पक्ष में जारी स्थगन आदेश निरस्त किए जाने का उल्लेख किया है एवं संपत्ति का विवाद खसरा नं. 593/9 का उल्लेख किया है। जबकि उनके न्यायालय में विवाद 593/1 के संबंध में बताया गया है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पारित आदेश इसी स्तर पर निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर तथा व्यवहार न्यायालयों में प्रस्तुत प्रकरणों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए पुनः बोलता हुआ आदेश पारित करें। यह निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	